गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना

2018. **श्री इकबाल सिंहः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 30 करोड़ व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिये कोई नये कार्यक्रम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चल रही विभिन्न गरीबी निवारण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने देश के सभी जिलों को कवर करने वाली दिनांक 1.2.1997 से, गंगा कल्याण योजना (जी०के०वाई०) नाम से एक नयी स्कीम प्रारम्भ की है। इस स्कीम का उद्देश्य लक्षित समूह के व्यक्तियों तथा लाभार्थी समूहों को भूमिगत जल के उपयोग (बोर वेल्स एवं ट्यूबवेल्स) के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 1996-97 के दौरान गंगा कार्य योजना का क्रियान्वयन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में किया जा रहा है। हालांकि, वर्ष 1997-98 से यह एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित स्कीम हो जाएगी। सरकार का वर्ष 1997-98 के अंत तक देश के सभी ब्लाकों में रोजगार आश्वासन स्कीम के विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने समयबद्ध तरीके से व्यापक कवरेज के लिए सात बुनियादी सेवाओं (बी०एम०एस०) की पहचान की है। वर्ष 1996-97 में 2244.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गयी थी तथा इन सेवाओं के लिए निर्धारित की गयी थी।

(ख) राज्यों को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत गंगा कल्याण योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत किया गया केन्द्रीय आवंटन (राज्य वार) विवरण-I में दिया गया है। **नीचे देखिए)**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1992-93 की अवधि के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के वास्ते कराये गये नवीनतम समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत जिन 15.96 प्रतिशत परिवारों को सहायता दी गयी थी, उन्हें 11,000 रुपये (1991-92 की कीमतों पर) की गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था। राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है **(नीचे देखिए)**। मजदूरी रोजगार योजना के अंतर्गत केवल अनुपूरक रोजगार प्रदान किए जाते हैं।

विवरण I

वर्ष 1996-97 में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंगतगर्मत गगा कल्याण योजना और रोजगार आवश्वासन स्कीम तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत किया गया केन्द्रीय आवंटन (राज्यवार)

क्र० सं०	राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र	जी० के०वाई० केंद्रीय हिस्सा	ई० ए० एस०× केन्द्रीय निधियां*	जी०एम० एस० ए० सी० ए०
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.38	72.70	140.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.51	10.30	62.18
3.	असम	2.25	15.20	154.14
4.	बिहार	13.28	84.50	225.67
5.	गोवा	0.12	0.00	1.55
6.	गुजरात	2.51	27.70	52.58
7.	हरियाणा	0.60	12.90	19.08
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	9.00	64.41
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.82	18.20	156.52

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र	जी॰ के॰वाई॰ केंद्रीय हिस्सा	ई॰ ए॰ एस॰× केन्द्रीय निधियां*	बी॰एम॰ एस॰ ए॰ वी॰ ए॰
10.	कर्नाटक	4.58	51.90	59.40
11.	केरल	1.67	17.80	69.64
12.	मध्य प्रदेश	8.65	118.90	144.09
13.	महाराष्ट्र	7.44	20.50	96.78
14.	मणिपुर	0.37	6.30	44.30
15.	मेघालय	0.39	4.30	37.03
16.	मिजोरम	0.17	8.00	36.87
17.	नागालैंड	0.27	9.50	37.53
18.	उड़ीसा	5.54	97.50	79.26.
19.	पंजाब	0.43	0.00	25.59
20.	राजस्थान	3.39	59.50	87.63
21.	सिक्किम	0.05	1.10	25.65
22.	तमिलनाडु	6.17	69.90	82.63
23.	त्रिपुरा	0.53	7.20	46.37
24.	उत्तर प्रदेश	16.64	113.20	317.33
25.	पश्चिम बंगाल	6.12	68.00	150.00
26.	अंडेमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.00	8.00
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	3.72
28.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.00	1.08
29.	दमन और दीव	0.05	0.20	0.86
30.	दिल्ली	0.00	0.00	9.00
31.	लक्षद्वीप	0.01	1.00	1.44
32.	पांडिचेरी	0.09	0.00	3.90
	जोड़	90.00	905.30	2244.48

× ई॰ ए॰ एस॰ मांग आधारित स्कीम है। (इस स्कीम के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है)
*दिसम्बर, 1996 तक।

विवरण II

आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ (जौबे ढौर) का समवर्ती मूल्यांकन आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ के अंतर्गत गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों का प्रतिशत

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र	11,000 रु॰ की संशोधित गरीबी रेखा
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.41
3.	असम	11.90
4.	बिहार	14.15
5.	गोवा	17.50
6.	गुजरात	3.94
7.	हरियाणा	6.10
8.	हिमाचल प्रदेश	12.12
9.	जम्मू एवं कश्मीर	29.85
10.	कर्नाटक	13.64
11.	केरल	6.42
12.	मध्य प्रदेश	9.79
13.	महाराष्ट्र	28.34
14.	मणिपुर	1.27

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	11,000 रु॰ की संशोधित गरीबी रेखा
15.	मेघालय	10.00
16.	मिजोरम	13.46
17.	नागालैंड	1.45
18.	उड़ीसा	11.11
19.	पंजाब	57.20
20.	राजस्थान	8.96
21.	सिक्किम	23.53
22.	तमिलनाडु	4.50
23.	त्रिपुरा	4.48
24.	उत्तर प्रदेश	27.40
25.	पश्चिम बंगाल	28.77
26.	अ॰ नि॰ द्विपसमूह	4.00
27.	चण्डीगढ़	5.13
28.	दादरा और नगर हवेली	0.00
29.	दमन और दीव	0.00
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	45.00
32.	पांडिचेरी	34.00
	योग	15.96

Annual Plan amount for Haryana and Uttar Pradesh

2019. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the amounts anctioned by the Planning commission for Haryana and Uttar Pradesh for the Annual Plan of 1997-98;

(b) the amount provided during 1996-97; and

(c) the reasons for providing lesser amount in comparison to the amounts sanctioned previously to the above States, year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The annual plan outlays for Haryana and Uttar Pradesh for 1997-98 are Rs. 1575.00 crore and Rs. 7080.00 crore respectively which are higher than their Originally Approved Outlays of Rs. 1433.65 crore and Rs. 6549.03 crore for Annual Plan of 1996-97.

(c) Does not arise.

Amount for macadamisation of road in Pauri District

2020. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to refer to answer to unstarred Question 1276, given in the rajya Sabha on the 25th July, 1996 and to state:

(a) whether any funds were earmarked for macadamisation of Sisldi Rekhnikhal motor road in District Pauri Garhwal;

(b) if so, the amount earmarked for 1995-96 and the percentage of achievement made;

(c) the amount earmarked for 1996-97 for macadamisation of this road; and

(d) by when the entire road would be macadamised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Rs. 8.50 lakhs were earmarked against the sanctioned cost of Rs. 45.00 lakhs for macadamisation of Sisldi Rekhnikhal motor road in District Pauri Garhwal.

(b) The amount earmarked for 1995-96 was Rs. 7.00 lakhs. This has been fully utilised.

(c) The amount earmarked for 1996-97 stands at Rs. 1.50 lakhs.

(d) The entire road would be macadamised by the State government.

Delay in implementation of Japan Aided Projects

2021. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mr. masahiko Horie, Director Japanese